

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 406 / 2016 / सिरौही.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शिखर मिनरल्स प्रा० लिमिटेड,
कम्पाउण्ड लासूड़िया मोरी देवास-नाका, इन्दौर (म.प्र.).

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पारस पाटनी, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 05 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 298 / अपील्स-1 / आरवीएटी / जयपुर / 2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 9.7.2014 को मावल (आबूरोड़) में वाहन संख्या आर.जे.27 / जीए-5463 को चैक किया गया। वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स शिवम् रोडलाईन्स भुज की बिल्टी संख्या 1874 दिनांक 5.7.2014 प्रेषक मैसर्स आशापुरा वॉलक्ले लिमिटेड भुज प्रेषिति मैसर्स महेश एडिबल कोटा; मैसर्स आशापुरा वॉलक्ले लिमिटेड भुज द्वारा जारी डिस्पेच गेट पास नम्बर 1224 दिनांक 5.7.2014; मैसर्स आशापुरा वॉलक्ले लिमिटेड भुज द्वारा मैसर्स शिखर मिनरल्स प्रा० लि०, इन्दौर (एम.पी.) को जारी इन्वॉयस संख्या 22 / 1054 दिनांक 5.7.2014, डिलीवरी चालान संख्या 2000252 दिनांक 11.6.2014; फॉर्म संख्या 402 (दो प्रतियों में) एवं एक अलग लिफाफे में मैसर्स शिखर मिनरल्स लिमिटेड, इन्दौर द्वारा मैसर्स महेश एडिबल ऑयल इण्डिया लिमिटेड, कोटा को जारी बिल क्रमांक 125 दिनांक 5.7.2014, जिसमें सी.एस.टी. चार्ज किया हुआ नहीं था, पेश किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह अवधारित किया गया कि उक्त माल



लगातार.....2

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत ट्रांजिट सेल है, किन्तु करापवंचन की मंशा से दस्तावेजों पर इसका पृष्ठांकन नहीं किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 4,49,362/- आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.9.2015 से स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. हस्तगत प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) का विक्रय है, परन्तु विक्रय का पृष्ठांकन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। दस्तावेजों के अवलोकन से ही यह स्पष्ट था कि माल का परिवहन केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत ही किया जा रहा है। केवलमात्र बिल्टी पर इसका पृष्ठांकन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी संव्यवहार की प्रकृति का निर्धारण करने का अधिकार नियमित कर निर्धारण अधिकारी का है, ना कि सक्षम अधिकारी का। वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण तभी किया जा सकता है जब धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन हो। धारा 76(2) निम्न प्रकार है :-

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. -

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;



लगातार.....3

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and


(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

5. उक्त प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट है कि माल परिवहन के दौरान बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र होना आवश्यक है, उक्त धारा के तहत संव्यवहार की प्रकृति का निर्धारण करने की शक्तियां सक्षम अधिकारी को प्रदान नहीं की गयी हैं, केवल कर निर्धारण के समय नियमित कर निर्धारण अधिकारी ही संव्यवहार की प्रकृति का निर्धारण करते हुए आदेश पारित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा बिल्टी पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) का पृष्ठांकन नहीं होने के आधार पर शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा न्यायिक निर्णय 23 टैक्स अपडेट 316 मैसर्स अपोला फाईबर्स लिमिटेड होशियारपुर बनाम इंचार्ज चैकपोस्ट गंग कौनाला बाईपास साधुवाली श्रीगंगानगर; मैसर्स ए.बी.बी. लिमिटेड उदयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, बाडमेर 37 टैक्स अपडेट 233 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 19 टैक्स अपडेट 82 मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, गंगापुरसिटी में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी व्यवहारी माल के परिवहन के दौरान केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत विक्रय कर सकता है तथा माल के दस्तावेज एवं माल की विगत में कोई अन्तर नहीं होने पर शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है।

इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि परिवहनित माल एवं उसके दस्तावेजों में किसी प्रकार की भिन्नता है अथवा वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य